न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1648/2004/जैसलमेर

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर
2–राजस्थानसरकार जरिये कलक्टर जैसलमेर

————अपीलांटस

बनाम

श्री मीठे खॉ पुत्र रमदान खॉ (मृतक) जरिये वारिसानः–
1–श्रीमती माणकेद पत्नी स्व0 मीठेखॉ
2–मीर हुसैन पुत्र मीठेखॉ
3–जमशेर खॉ पुत्र मीठेखॉ मुसलमान निवासी खुईयाला तहसील एवं जिला जैसलमेर

– रैस्पोडेंटस

खण्डपीठ
श्री प्रवीण गुप्ता,सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग,सदस्य

उपस्थितः–
श्री आर.पी. शर्मा उपराजकीय अधिवक्ता अपीलांटस
श्री वी0एस0राठौड अधिवक्ता रैस्पोडेंटस

————

निर्णय

दिनांकः 12फरवरी, 2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–3–2003 जो अपील संख्या 22/03 में पारित किया गया है, के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष हाल रेस्पोडेंट/वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उनके कब्जेशुदा भूमि जो कि ग्राम खुईयाला में है जो अन्दाजन 15 हल है जिस पर वह लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है और उसका कब्जा हाल खसरा नंबर 1118 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा ,1114 /1726 रकबा 34 बीघा 10बिस्वा व 1115/1727 रकबा 40बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 76 बीघा बारानी भूमि पर कदीमी कब्जा काश्त होते हुए भी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 1118/,1114/1726 व 1115/1727 को सिवाय चक दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नही था। अन्त

में दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके उपरांत दोनो पक्षों की सुनवाई कर, प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2002 के द्वारा दावा /वादी साक्ष्यों से साबित नही होने के आधार पर खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प जैसलमेर समक्ष प्रस्तुत की जिसे उनके द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2003 को से अपील स्वीकार कर दावा वादी डिक्री कर किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–2003 के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3– दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– इस प्रकरण में प्रस्तुत अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र दिनांक 21–4–04 को प्रार्थी/राजकीय अभिभाषक द्वारा मियाद के सम्बन्ध में निवेदन किया कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–11–03 द्वारा विपक्षी की अपील स्वीकार कर दावा को डिक्री किया गया था। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध राजकीय अभिभाषक,राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 8–1–04 को तहसीलदार जैसलमेर को पत्र लिखकर उक्त निर्णय से अवगत कराया तथा पत्र के साथ निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत कर राय व्यक्त की कि उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील पेश कराई जावे। उक्त पत्र तहसील में प्राप्त होने पर तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिनांक 10–2–04 को जिला कलक्टर जैसलमेर को पत्र लिख कर व पत्र के साथ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री प्रेषित कर उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही , जिस पर कलक्टर जैसलमेर द्वारा दिनांक 21–2–04 को तहसीलदार जैसलमेर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के द्वारा पारित किये गयेनिर्णय व डिक्री केविरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील दायर करने हेतु आदेश दिये जो तहसीलदार जैसलमेर को दिनांक 23–2–04 को प्राप्त हो गये। तत्समय तहसीलदार जैसलमेर प्रशासनिक कार्य, अकाल राहत, मलेरिया एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहे और 31–3–04 तक वसूली कार्यवाही में भी व्यस्त रहे। इस कारण जिला कलक्टर का पत्र प्राप्त होते ही अजमेर आकर अपील पेश नही करा सके और राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर यह अपील तैयार कराकर आज प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार प्रार्थी को अपील पेश करने में जो अधिक विलम्ब हुआ यह कारण सद्भावी एवं सन्तोष जनक है। अतः न्याय हित में उक्त देरी को क्षमा किया जा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में आरबीजे 2013 पेज 176 एवं 2000 आरबीजे पेज 465 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

5– इसके विपरीत अभिभाषक रेस्पोडेंट का कथन है कि अपील इस न्यायालय में लगभग 4 माह की देरी से प्रस्तुत हुई है। अपील को अन्दर मियाद शुमार कराने हेतु प्रार्थी द्वारा जो तथ्य व कारण अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित किये है वे उक्त असाधारण देरी को माफ कराने के लिए सन्तोषप्रद कारण नही कहे जा सकते है। प्रार्थी/राजकीय अभिभाषक को अपील पेश करने में हुई एक एक दिन की देरी का कारण स्पष्ट करना चाहिए था, जो नही किया गया है। अतः हस्तगत अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर डिक्री प्रदान की गयी है जबकि 1996 आरआरडी पेज 324 में यह प्रावधान है कि दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही डिक्री प्रदान की जानी चाहिए और इस प्रकार की डिक्री का मैरिट पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए और राजकीय मामलों में सहानुभूति का रुख अपनाना चाहिए। अतः यह न्यायालय विद्वान राजकीय अभिभाषक के तर्को से सहमत होते हुए प्रार्थी राजकीय अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डौन कर, अपील को अन्दर मियाद मानते हुए प्रकरण का मैरिट पर निर्णय पारित करना उचित समझते है।

6— जहॉ तक मैरिट का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों / तर्को को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह तथ्यों, साक्ष्यों और रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका आगे तर्क ह ैकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि आरटीए 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार न्यायालय तभी प्रदान करने में सक्षम है जबकि उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के समय अर्थात सं0 212 में रेस्पोडेंट / वादी बतौर कृषक की हैसियत से आराजी पर काबिज हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट अपने आपको सं. 2012 में बतौर टिनेंट काबिज होना सिद्ध करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा दावा / वादी खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की थी किन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस साक्ष्य के दावा वादी / रेस्पोडेंट डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है। विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी ने अपना दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नही कराया था। जिससे वादी का वाद खारिज किया गया है, लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दावा वादी मौखिक साक्ष्य पर अधिक महत्व देते हुए एवं उसके आधार पर दावा डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है। अन्त में अपील स्वीकार कर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22—11—03 को निरस्त कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21—3—202 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

7— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट का तर्क है कि ग्राम खुईयाला में वादी / रेस्पोडेंट के कदीमी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की करीब 15हल भूमि है। जिसके हाल खसरा नंबर 1118, 1114 / 1726 व 1115 / 1727 बने है। हमारा विवादित आराजी पर पुराना कब्जा काश्त होते हुए भी सैटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 1114 / 1726 व 1115 / 1727 को सिवाय चक दर्ज कर दिया तथा 1118 के सम्बन्ध में वादी रेस्पोडेंट को अतिक्रमी दर्ज कर दिया । हमारे द्वारा पुरानी जमाबन्दी व खसरा गिरदावरियॉ की नकले पेश की गयी थी जिसके आधार पर हमारे दावे को प्रमाणित मानते हुए व उभयपक्ष को सुन कर विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर हमारे पक्ष में दावा डिक्री किया है, जो उचित व कानूनी सम्मत है ,जिसमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने कथनो के समर्थन में 1996 आरआरडी (डीबी)पेज 324, 1996 आरआरडी (एच. सी.) पेज 532, 199 आरआरडी (एचसी) पेज 538 ,1994 एआईआर (एससी) पेज 1128 पैरा 5, 2000

आरआरडी (एचसी) पेज 85, 2002 आरआरडी (एचसी) पेज 924 एवं 2009 आरआरडी (एचसी) पेज 275 को उद्धरित किया । अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया।

8— हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

9— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष हाल रेस्पोडेंट/वादी की ओर से एक वाद संख्या 39/97 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर के समक्ष विरुद्ध सरकार पेश किया था। अधीनस्थ परीक्षणलय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इसके उपरांत दोनो पक्षों की सुनवाई कर, प्रकरण में तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.3.2002 के द्वारा दावा /वादी साक्ष्यों से साबित नही होने के आधार पर खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 22/03 शीर्षक मीठे खॉ बनाम सरकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर कैम्प जैसलमेर समक्ष प्रस्तुत की जिसे उनके द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22—11—2003 को से अपील स्वीकार कर दावा वादी डिक्री कर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में जो तनकी संख्या एक बनाई गई है वह महत्वपूर्ण है।

तनकी नंबर 1:— '' आया वादीगणग्राम खुाईयाला के हाल खसरा संख्या 1118 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 1114/1726 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 1115/1727 रकबा 40बीघा 10बिस्वा कुल रकबा 76 बीघा भूमि पर पीडियों से संवत लागू होने काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से लगातार काबिज काश्त होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है ?'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अपनी भूमि पर सं.2012 से लगातार कब्जा काश्त प्रमाणित नही किया है। प्रदश 7 से 9 में वादी को केवल खसरा नम्बर 1118 में अतिक्रमी बताया गया है। इसके अतिरिक्त भू प्रबन्ध विभाग का पर्चा खसरा परिवर्तन शील संवत 2035 से लेकर 2042, संवत 2045, 2046 व 2051 की प्रतियॉ पेश की ,मगर इन्हे एग्जिबिट नही करवाया है। उन्होने यह भी अंकित किया है कि विवादित आराजी के कम ज्याद रकबे पर वादी रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त अंकित हुआ है। वादग्रस्त खसरा नंबर1118 में वादी अतिक्रमी होना साबित होता है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है जिससे अन्य खसरा नम्बर 1114/1726,1115/1727 की भूमि पर वादी/रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त रहा हो। वर्तमान अभिलेख में विवादित आराजी ग्राम खुईयाला किस्म बंजर राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड मे ंदर्ज है।अतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने यह मानते हुए कि तनकी संख्या एक को वादी/रेस्पोडेंट प्रमाणित कराने में असफल रहे है उनका वाद खारिज किया गया है ।लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त तनकी के सम्बन्ध में यह अंकन किया कि वादी रेस्पोंडेंट ने लगान जुर्माना की रसीदात प्रदर्श 1 से पॉच खसरा गिरदावरी प्रदर्श 7, खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 8व 9 पेश किये इसके अलावा उनके द्वारा भू प्रबन्ध विभाग का पर्चा खसरा परिवर्तनसील संवत 2035 से 2042,संवत 2045, 2046 व 2051 पेश की लेकिन इन्हे एग्जीविट नही कराया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने यह माना है कि इन दस्तावेजो ंके अवलोकन से उपरोक्त तीनों खसरा

नम्बरों में कम ज्यादा रकबे पर वादी का कब्जा काश्त अंकित किया हुआ है। । यह भी वर्णित किया है कि अगर किसी वर्ष में वादी का विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड में कब्जा अंकित नही है तो मात्र ऐसे अंकन के अभाव में यह नही कहा जा सकता कि विवादित आराजी पर वादी का निरंतर कब्जा काश्त नही रहा है। इसके अलावा मौखिक साक्ष्य एवं पटवारी हल्का की जिरह का हवाला देते हुए मौखिक साक्ष्य एवं उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त तनकी वादी / रेस्पोडेट के हक में तय करदी। स्पष्ट है कि संवत 2012 एक महत्वपूर्ण वर्ष है और इस वर्ष में कोई विधिक मान्य कब्जा वादी का नही था तथा जो भी खसरापरिवर्तन शील पेश की है उनमे वादी राजकीय सिवायचक भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से दर्ज है जिनमें तत्समय तसयम पर वादी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही के द्वारा उसे बेदखल किया जा जाता रहा है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आरटीए की धारा 15 में खातेदारी अधिकार किसी न्यायालय द्वारा तभी दी जा सकती है जबकि उक्त अधिनियम के पूर्व में अर्थात संवत 2012 में कोई व्यक्ति कृषक की हैसियत से काबिज रहा हो। इन तथ्यों को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनदेखी करते हुए मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। जबकि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद विधिक प्रावधानों के अनुरुप ही खारिज किया गया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त कानूनी नजीरें हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। ऐसीस्थिति में यह न्यायालय विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से सहमत है जबकि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पूर्णतया असहमत है। परिणामस्वरूप हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

10— अतः उपरेाक्त विवेचन के प्रकाश में यह अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर कैम्प जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22—11—03 को निरस्त किया जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—3—02 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य